बालाजी मंदिर के रखरखाव व पुराना रास्तों को खोलने की मांग, आर्मी गेट पर प्रदर्शन किया

- बालाजी प्रबंधक समिति ट्रस्ट व सेना के बीच हुआ समझौता

कोटा, (निसं)। हनुमान जयंती और चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रि के मद्देनजर मंदिर में शुरू रखरखाव व पुताई कार्य सैन्य अधिकारियों ने बंद करा दिया। आर्मी की आपत्ति के बाद मंदिर में निर्माण और विकास कार्य रुक गया। इससे क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और मंगलवार को बालाजी मंदिर प्रबंधक समिति ट्रस्ट के बेनर तले हनुमान भक्त सड़कों पर उतर गये और स्टेशन स्थित आर्मी गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

भक्तों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई बार दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम गजेंद्र सिंह और पुलिस उपअधीक्षक गंगा सहाय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे भक्तजनों से समझाईश की। इससे पहले श्रद्धालु चांदमारी बालाजी मंदिर पर एकत्र हुए, जहां से आरती के बाद रैली के रूप में वाहनों से खेड़ली फाटक स्थित आर्मी के चित्तौड़गढ़ गेट के बाहर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं शामिल रही। इससे स्टेशन जाने वाला मुख्य मार्ग बंद हो गया और

चांदमारी बालाजी मंदिर का पुराना रास्ता खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

जाम के हालात बन गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। लोगों से वार्ता की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में विनोद गौतम, अशोक गौतम, दुष्यन्त सिंह, सुनील शर्मा पार्षद, महावीर नागर, श्रीराम मंदिर प्रबंध समिति सभापति डॉ.सुधीर उपाध्याय, महामंत्री परमानंद शर्मा, हेमंत चतुर्वेदी व चेतन महावर आदि मौजूद थे।

सेना ने दी अनुमतिः- वहीं प्रबल विरोध प्रदर्शन के बाद सेना ने चांदमारी बालाजी मंदिर पर आयोजित होने वाले सभी धार्मिक आयोजनों को परम्परागत रूप से आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। चांदमारी बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गौतम ने बताया कि सेना से एडमिनिस्ट्रेशन कमानडेट यज्ञुवेन्द्र सिंह यादव के साथ समझौता वार्ता हुई जिसमें निर्णय लिया गया चांदमारी बालाजी मंदिर पर 30 मार्च से 12 अप्रेल तक जो भी परम्परागत आयोजन होते आ रहे है वे सभी आयोजित होंगे। एसडीएम गजेंद्र सिंह का कहना है कि दोपहर से लोग विरोध में आर्मी गेट के सामने बैठे हुए हैं। लोगों से समझाईश का प्रयास किया गया। आर्मी के अधिकारियों से भी उच्च अधिकारी बातचीत की गई।

वहीं, मंदिर से जुड़े अरविंद सिसोदिया का कहना है कि करीब 300 साल पुराना प्रसिद्ध, प्राचीन और चमत्कारी हनुमान मंदिर चांदमारी बालाजी है। मंदिर में जाने के कई रास्ते थे। सभी को बंद कर दिया गया है। मामले में पुलिस और प्रशासन को कई बार लिखा, लेकिन आर्मी अफसरों के सुनवाई नहीं करने के चलते काम नहीं हो रहा था।

मंदिर में पुताई और रंगाई की जा रही थी, जिसे रूकवा दिया गया। ऐसे में हमें मजबूरन सड़क पर ही हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर का रास्ता पहले आर्मी एरिया से जाता था, जिसे कई साल पहले बंद करा दिया गया. इसका दूसरा रास्ता खेड़ली फाटक के अंदर होकर जाता है हालांकि, यह आर्मी कैंट से बिल्कुल सटा है।

बस में अफीम ले जाते तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस से अफीम ले जाते अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही उप – नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध अफीम लेकर राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस से चितौड़गढ़ होते हुए गंगानगर की ओर जा रहा है। उक्त सूचना पर सीबीएन प्रतापगढ़ सेल की एक टीम गठित की गई।

उप-नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम द्वारा सूचना के आधार पर संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई, और बस की पहचान होने के बाद मधुरा तालाब चौराहा, प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी रोड़ पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा बस को रोका गया और तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के पास से 1.010 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया।

सार-समाचार

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

कोटा, (निसं)। हत्या के साढ़े बारह साल पुराने मामलें में एडीजे क्रम-6 न्यायालय नें पकड़े गये दो आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सेशन न्यायालय क्रम-6 के न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी रामप्रताप व रामेश्वर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 1 लाख 6 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक प्रियंका जादौन ने बताया कि परिवादी महावीर ने बूढ़ादीत थाने में 16 नवम्बर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि रामप्रताप उसका भाई रामेश्वर व जवाई महावीर तीनों उसके घर पर तलवार व गंडासी लेकर आये और रंजिश के चलते कमलेश, भीमराज, उसके ऊपर व अन्य पर हमला कर दिया। हमले में कमलेश के सिर में गंभीर चोट आई व भीमराज भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां कमलेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर रामप्रताप, रामेश्वर व मोहनलाल के खिलाफ 302 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए रामप्रताप, रामेश्वर व मोहनालाल को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले में चली सुनवाई के दौरान आरोपी मोहनलाल की मृत्यु होने पर कोर्ट ने आरोपी मोहनलाल के खिलाफ कार्यवाही को ड्रोप किया और मामले में अन्य आरोपी रामप्रताप व रामेश्वर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई व 1 लाख 6 हजार के अर्थदंड सें दंडित किया।

हमले के दो दोषियों को सात साल की सजा

कोटा, (निसं)। जानलेवा हमले में साढ़े बारह साल पुराने मामले में एडीजे क्रम-6 न्यायालय ने मामले मे सुनवाई करते हुए जानलेवा हमले के दो आरोपीयों को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। अपर सेशन न्यायालय क्रम-6 के न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी महावीर व भीमराज को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई साथ ही 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक प्रियंका जादौन ने बताया कि परिवादी मोहनलाल ने बूढ़ादीत थाने में 15 नवम्बर 2012 को पर्चा बयान दिया कि वह रामनगर का रहने वाला है। परिवादी ने बयान में कहा कि गांव के महावीर, भीमराज व अन्य ने रंजिश के चलते गंडासे व डंडो से हमला कर दिया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर 307 सहित अन्य धाराओं मे महावीर व भीमराज के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए दोनों आरोपी महावीर व भीमराज को गिरफ्तार किया और न्यायालय में दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महावीर व भीमराज को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई।

राज्यपाल ने माधव राव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी

कोटा, (निसं)। कोटा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को छावनी चौराहे पर महाराज माधव राव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। यह जानकारी देते हुए महाराज माधव राव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष व भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी एडवोकेट ने बताया कि राज्यपाल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छावनी चौराहा स्थित पार्क आये तथा वहां महाराज माधव राव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इंद्रमोहन सिंह ने राज्यपाल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया तथा हनी ने राजयपाल की दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर बात कराई, राजयपालने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कैलाशवासी महाराज माधव राव सिंधिया व राजमाता के साथ अपने मुलाकात के अनुभव साँझा किए, सिंधिया ने राज्यपाल का धन्यवाद किया।

चैन तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। जीआरपी पुलिस टीम ने ट्रेन में महिला यात्री के गले से चैन तोड़ने के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया एवं चोरी की गई चैन को भी बरामद कर लिया। जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि 24 मार्च को महिला ने रिपोर्ट दी थी कि हजरत निजामुद्दीन-तिरूवंतपुरम सुपरफास्ट में यात्रा के दौरान कोटा से ट्रेन रवाना होते ही एक बदमाश ने उसके गले पर झपट्टा मारते हुए चैन को तोड़ लिया। महिला की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र निवासी युवराज सिंह चंदेल (22) को गिरफ्तार कर आरोपी से चैन को बरामद कर लिया।

जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

कोटा, (निसं)। केन्द्र सरकार ने सविंधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार ने सविंधान के बारे में देश के नागरिको में जागरूकता विकसित करने के लिए देश में पूरे साल कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित का निर्णय लिया है। इसी के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केन्द्रीय संचार ब्यूरो-क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा आज मंगलवार को शहर के निकटवर्ती गिरधरपुरा एवं नयाखेड़ा गांव विद्यालयों में हमारा सविंधान-हमारा स्वाभिमान पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो-क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने स्कूली छात्र- छात्राओं से कहा की इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सविंधान के प्रति आमजन के साथ युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा करना है।

नागर मंदिर समिति के पुनः अध्यक्ष बने

छबड़ा (निसं)। श्री राधाकृष्ण एवं चौथ माता मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें श्री सुरेश बाबू नागर को सर्व सहमति से पुनः मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया एवं अध्यक्ष ने समिति की सहमति से कोषाध्यक्ष पद पर जगदीश नागर को नियुक्त किया। यहां पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा पूर्व के कार्यो एवं आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तूत किया गया एवं मीटिंग के बाद स्नेहभोज का आयोजन रखा गया। यहां प्रह्लाद शर्मा, नाथुलाल अग्रवाल, बिट्ठलदास गुप्ता, संग्राम सिंह मीणा, रघुवलदयाल भार्गव, मोहन सेन, रामचंद्र भार्गव, राजेन्द्र नामदेव, रामकरण गर्ग, चंद्र मोहन शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा, सुरेश शर्मा,जगदीश सोनी, गिर्राज सोनी, डॉ.गिर्राज गुर्जर,ओम मालव, आशीष रामपरिया, आदि मौजूद थे।

समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया

छबड़ा (निसं)। स्कूल शिक्षा परिवार के तत्वावधान में जिला प्रभारी वाहिद एलोन के नेतृत्व में विधायक प्रतापसिंह सिंघवी के नाम वरिश्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि आरटीई की यूनेस्कोस्ट प्री-प्राइमरी का भुगतान कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रहा और किताबो के पैसे स्कूल के खाते में डालने आदि की मांग रखी। यहां भाजपा नेता सिंघवी ने समस्याओ के निराकरण के लिए आष्वस्त किया। यहां जिला उपाध्यक्ष दीपक मेहता, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वैष्णव, ब्लॉक प्रभारी हरिओम नागर, जयशंकर चौरसिया, जगदीश अमेरिया, थॉमस, सानु वर्गीस, दीपक भार्गव, शिवचरण शर्मा, अब्दुल हादी खान, मुकेश मौर्य, शिवाजी जैपला, कुलदीप भार्गव, अवधेश शर्मा, पुरुषोत्तम कुशवाह, देवीशंकर, हरिओम शर्मा, मोहनलाल मालव आदि मौजूद रहे।

नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। बृजराज भवन कोटा के अनुसार मंगलवार को कोटा जंक्शन स्थित ट्रस्ट धर्मशाला श्री महारानी जी श्री जाडेची जी कोटा, द्वारा एक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अन्तर्गत कोटा जंक्शन स्थित श्री महारानी जी धर्मशाला में प्रातः 9 बजे से रोगियों का पंजीकरण शुरू हुआ जो दोपहर 12 बजे तक जारी रहा।

शिविर मे सर्वप्रथम 350 रोगियों के पंजीकरण हुये। तत्पश्चात रोगियों के ऑखों में मोतियाबिन्द के ईलाज के लिए की जाने वाली (कालापानी, रक्तचाप, यूरिन) उपयुक्त जांच की गई तथा 60 मरीजों का चयन कर मोतियाबिन्द का ऑपरेशन (लैन्स प्रत्यारोपण सहित) किया गया।

इस शिविर में कोटा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से मोतियाबिन्द के ऑपरेशन एवं नेत्र जाँच के लिये प्रातः 8 बजे से लोगो का तांता लगा रहा। इसी क्रम में वरिष्ठ एवं अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉ. सुधीर गुप्ता ने रोगीयों की जांच गहनता से की तथा रोगी के उपचार के लिये उचित परामर्श भी दिये। इसी बीच दूर दराज से आये रोगियों को निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई। शिविर में कोटा राज परिवार के सदस्य उत्तरा देवी, इज्यराज सिंह तथा विभिन्न समाजसेवी व अन्य गणमान्य नागरिक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

कोटा में आयोजित शिविर में कोटा राज परिवार के सदस्य उत्तरा देवी, इज्यराज सिंह तथा अन्य लोग उपस्थित रहे।

श्वास नली की सिकुड़न का कोबलेशन विधि से सफल ऑपरेशन

कोटा, (निसं)। महावीर ईएनटी हॉस्पिटल में भरतपुर निवासी 22 वर्षीय व्यक्ति का संकुचित श्वास नली (सबग्लोटिक स्टेनोसिस ग्रेड-4) को कोबलेशन विधि से सफलतापूर्वक ठीक किया गया। यह ऑपरेशन कोबलेशन विधि द्वारा कोटा में पहली बार हुआ है। मरीज को चोट की वजह से श्वास नली में सिकुड़न आ गई, जिसकी वजह से सांस लेने में आवाज आने लगी और निमानिया की वजह से वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ जाती थी। वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. विनीत जैन एवं हेड नेक सर्जन डॉ.पार्थ पाटनी ने जांच के बाद पाया कि उनकी श्वास नली मात्र 5.5 मिमि. है। कोबलेशन तकनीक से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर इसे 15 मिमि. तक चौड़ा किया गया। सफल सर्जरी में डॉ.आरती गुप्ता, वरिष्ठ निश्चेतन विषेषज्ञ की भूमिका रही। ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज को आराम मिला बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस लेने लगा।

कोटा में महावीर ईएनटी में मरीज की श्वास नली की सिकुड़न को आधुनिक पद्धति के द्वारा ठीक किया गया है।

एसडीएम को ज्ञापन दिया

छबड़ा (निसं)। राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के नेतृत्व में मंगलवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा।

अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में आगामी नियमित सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी करवाने और भर्ती को हमेशा की तरह मेरिट और बोनस 10,20,30 अंक के आधार पर ही सुनिश्चित करवाने की मांग की और आगामी भर्ती लिखित से न होकर सीधी भर्ती करवाए जाने की मांग की गई।

राजू बैरागी व गिर्राज कुशवाह ने बताया कि आगामी भर्ती में पिछली सरकार ने सीएचए को बोनस अंक दिया गया था, जिसमें एक दिन काम किया। उसको भी 15 अंक दिए थे। जबकि दो-तीन साल से कार्यरत स्टॉफ इस भर्ती वंचित रहे गए थे। यह स्टॉफ काफ़ी वर्षो से अल्प वेतन पर कार्यरत है। यहां नितिन, महेश तेजस्वी, नरेश, रामप्रसाद, विनोद टाटू आदि मौजूद थे।

पर्यटन, शिक्षा और कौशल विकास से होगा आर्थिक समृद्धि का विस्तार : राज्यपाल

- कोटा विश्वविद्यालय का प्रथम औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन
- भारतीय संस्कृति में पर्यटन की अनूठी परंपरा : राज्यपाल

कोटा, (निसं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को कोटा विश्वविद्यालय के प्रथम औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यटन आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में पर्यटन एक अभिन्न अंग के रूप में सदियों से विद्यमान रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में चारधाम यात्रा एवं अन्य धार्मिक यात्राओं की प्राचीन परंपरा रही है, जो लोगों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पर्यटन रोजगार और आर्थिक विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारतीय स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों की नक्काशी और विशिष्ट कलाकृतियों के कारण वे आज वैश्विक पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंगापुर जैसे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है। भारत में भी पर्यटन को इसी दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व रखता है। कोटा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के हाथों में कौशल होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कौशल रोजगार और रोटी की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यटन और कौशल विकास साथ-साथ चलते हैं। यदि युवाओं को पर्यटन उद्योग से जोड़ते हुए उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान किया जाए, तो इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने होटल उद्योग, टूर गाईड, इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने राजस्थान के किलों, हवेलियों, मंदिरों, वन्यजीव अभयारण्यों और पारिस्थितिकी तंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान देश और विदेश के पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केन्द्र रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो अन्य छोटे व्यवसायों को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी ने कहा कि भारत में धार्मिक पर्यटन अब एक नए क्रांतिकारी इतिहास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ, अयोध्या मंदिर निर्माण और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने बताया कि पहले पर्यटन को कुछ गिने-चुने ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब इसे नवाचार और सतत विकास के साथ जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कोटा के पर्यटन स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, मथुराधीश मंदिर, रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन पार्क, एयरोसिटी, एक्सप्रेस-वे के कारण कोटा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रो. संदीप कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में 'अतिथि देवो भव' की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से ही लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण होता आया है, जिसका उल्लेख वेदों और रामायण-महाभारत में भी मिलता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन का नेतृत्व एशिया करेगा और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इतने लोगों के प्रयागराज आने से वहां की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन न केवल पर्यटन का केन्द्र बिंदु बना, बल्कि इसने सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। कार्यक्रम की निदेशक प्रो.अनुकृति शर्मा ने पर्यटन की आर्थिक और सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाड़ौती में पर्यटन के नए आयामों पर विचार-विमर्श करने और पर्यटन शिक्षा तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में पर्यटन को नवाचार, डिजिटलाईजेशन और सतत विकास के साथ जोड़ा जाए, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक: न.पा.छ./2025/1564 प्रारुप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक:-25.03.2025

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां

लोक सूचना

श्री मोहम्मद हिदायतउल्लाह खान आत्मज श्री हसमत उल्लाह खाँ निवासी प्रेमजी होटल के पास मस्जिद के सामने वार्ड नं. 22 छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बारां	रिछड़ा	92 93	0.4806 हैक्ट. में से 0.1077 हैक्ट. 0.3667 हैक्ट. में से 0.1189 हैक्ट. कुल 0.8473 हैक्ट. में से 1400वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.....को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2025/2146 दिनांक 25.3.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-99 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 177 दिनांक 05.12.2008 द्वारा श्री गुरुकृपा मारुती सेल्स एण्ड सर्विस प्रो. श्री राधेश्याम सरोजा को आवंटित किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 01.01.2021 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., हक त्याग समर्पण पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या 99 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर योजना कोटा के स्वामित्व हस्तांतरण की स्वीकृति श्रीमती कमलेश सरोजा पत्नी श्री राधेश्याम सरोंजा के नाम कर दी जावेगी।

उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2025/1318 दिनांक 25.3.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी आवास संख्या 290 का नामहस्तांतरण क्रमांक 1954-55 दिनांक 25.06.2012 को श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री हेमन्त कुमार शर्मा की मृत्यु दिनांक 16.01.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती चेतना शर्मा पत्नी स्व.श्री हेमन्त कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास संख्या 290 श्रीरामकृष्णपुरम-बी अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 290 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-बी का नाम हस्तान्तरण श्रीमती चेतना शर्मा पत्नि स्व.श्री हेमन्त कुमार शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-66 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 25.3.25

नगर विकास न्यास कोटा की रिखबचंद धारिवाल अधिवक्ता आवासीय रानपुर योजना के भूखण्ड/दुकान संख्या 280-बी कार्नर का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 24.07.2012 को श्री नलिन पारीक पुत्र स्व. श्री पंकज पारीक को किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 25.07.2013 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान हकदार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या 280-बी कार्नर योजना रिखबचंद धारिवाल अधिवक्ता आवासीय रानपुर का नाम हस्तान्तरण श्रीमती उषा पारीक पत्नि स्व.श्री नलिन पारीक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3761 विज्ञप्ति दिनांकः-19.3.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया में स्थित कृषि भूमि योजना प्रताप टाउनशिप ब्लॉक-ए भूखण्ड संख्या ए-7 खसरा नं. 353 आवेदक/आवेदिका श्री महेश दत्त गौड पुत्र श्री भगवान दास निवासी म.नं. 23, रेल्वे हाउसिंग सोसायटी बजरंग नगर, पुलिस लाईन कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2416 दिनांक 18.03.2019 को श्रीमती इन्द्रा मित्तल पत्नि श्री सतीश मित्तल राम के पक्ष के जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु उपरान्त विकास मित्तल पुत्र श्री उमेश मित्तल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण UIT-KOTA/FY21-22/MUT/1612 दिनांक 24.02.2022 से जारी किया गया। विकास मित्तल द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2024 से जर्ये मुख्तार आम श्री समीर मित्तल पुत्र श्री सतीश चन्द मित्तल द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया था।

अतः श्री महेश दत्त गौड पुत्र श्री भगवान दास के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण,कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4875 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.3.25

आवास संख्या 5-जी-17 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राकेश कुमार सद्दा पुत्र श्री माधव लाल सद्दा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोती लाल के नाम दिनांक 27.08.1995 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोती लाल द्वारा दिनांक 23.12.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोती लाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2023 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री दिनेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मोती लाल वर्मा एवं मीना पुत्री श्री मोतीलाल द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 04.11.2024 को श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ के पक्ष में किया गया। श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5-जी-17 महावीर नगर तृतीय कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री मोतीलाल वर्मा पुत्र श्री रामनाथ के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4758 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 11.3.25

आवास संख्या 4-ब-19 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री टहल मल पुत्र श्री रीझू मल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री अशोक कुमार माखिजा पुत्र श्री वाधुमल के नाम दिनांक 20.02.1995 को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्री अशोक कुमार माखिजा पुत्र श्री वाधुमल द्वारा दिनांक 21.02.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री अशोक कुमार माखिजा पुत्र श्री वाधुमल द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 15.05.2005 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री परमानन्द छेतिजा पुत्र श्री मेघराज मल को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री परमानन्द छेतिजा पुत्र श्री मेघराज मल मुख्तारआम श्री अशोक कुमार माखिजा पुत्र श्री वाधुमल द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 15.04.2009 को श्रीमती रेखा पत्नी श्री परमानन्द छेतिजा को किया गया। श्रीमती रेखा पत्नी श्री परमानन्द छेतिजा का नाम दिनांक 06.05.2022 को उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती रेखा पत्नी श्री परमानन्द छेतिजा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.10.2022 को श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल शर्मा को किया गया। श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-ब-19 विज्ञान नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल शर्मा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र पाल शर्मा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4897 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 25.3.25

आवास संख्या 3/71 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री जयनन्दन गर्ग पुत्र श्री हंसराज अग्रवाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल के नाम दिनांक 15.03.2013 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल द्वारा दिनांक 31.03.2013 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 27.02.2014 को मुख्तार आम आलेखित कर श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री धनश्याम गुप्ता को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री धनश्याम गुप्ता मुख्तार आम श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता पुत्र श्री बाबू लाल द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 03.07.2018 को श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री रघुनन्दन गुप्ता को किया गया। श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री रघुनन्दन गुप्ता का नाम दिनांक 30.05.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री अमन गुप्ता पुत्र श्री रघुनन्दन गुप्ता द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 03.06.2024 को श्री भूपेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामस्वरुप राठौर को किया गया। श्री भूपेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामस्वरुप राठौर द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/71 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामस्वरुप राठौर का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामस्वरुप राठौर का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री भूपेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामस्वरुप राठौर के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा